भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2918
उत्तर देने की तारीख 17 दिसंबर, 2025

भारतनेट के अंतर्गत प्रगति

2918. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या *संचार* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित की गई है और अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है;
(ख) सरकार द्वारा भारतनेट परियोजना के अंतर्गत प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
(ग) क्या यह सच है कि सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए कोई बोली प्राप्त करने में विफल रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत और अधिक बोलियां आकर्षित करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ख) भारतनेट को सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट चरण-I और चरण-II के अंतर्गत कुल 2,22,341 ग्राम पंचायतें शामिल हैं, जिसमें से 2,14,904 सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हैं। भारतनेट के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा सरकार द्वारा और साथ ही राज्य ब्रॉडबैंड समिति(यों) एवं जिला स्तरीय दूरसंचार समिति(यों) द्वारा की जाती है।

(ग) से (घ) वर्ष 2021-2022 में भारतनेट के लिए नौ पैकेजों हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत बोलियां आमंत्रित की गईं। केवल एक पैकेज के लिए एक नॉन कम्प्लांइट बिड (बोली) प्राप्त हुई। भारतनेट को ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कार्यान्वित करने में जोखिम बहुत अधिक हैं, इसलिए निजी क्षेत्र के भागीदार पीपीपी बोलियों में आगे नहीं आए।

(ङ) से (च) संशोधित कार्यान्वयन मॉडल तैयार किया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके तहत देश भर में लगभग 2.64 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) और लगभग 3.8 लाख गैर-ग्राम पंचायतों वाले गांवों को मांग के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। एबीपी का कार्यान्वयन डिजाइन बिल्ट ऑपरेट और मेंटेन (डीबीओएम) मॉडल के तहत प्रोफेशनल एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें ओपन बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के रूप में चुना जाएगा।
